राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

वाद संख्या–36/2025

महादेव ठाकुर एवं श्री राम लखन दास उर्फ दिगंबर झा बनाम् श्री अरूण राय।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–20.11.2025, दिनांक–30.12.2025 एवं दिनांक–27.01.2026, को की गई, जिसमें वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार झा द्वारा पक्ष रखा गया तथा प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार मिश्रा द्वारा पक्ष रखा गया। **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी की ओर से श्री सुमन प्रसाद, उप विकास आयुक्त, मधुबनी, श्री विजय कुमार, D.L.A.O. मधुबनी, एवं श्री दिवाकर कुमार चौधरी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सदर मधुबनी को सत्यापन प्रतिवेदन एवं जिला का पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया गया।**

यह वाद वादी के द्वारा दायर परिवाद एवं निर्वाची पदाधिकारी, नगरपालिका–सह–उप विकास आयुक्त, मधुबनी के पत्रांक–52/निर्वा0, दिनांक–03.04.2025 से प्रारंभ हुआ है। परिवादी श्री महादेव ठाकुर, पिता–स्व0–बाउन ठाकुर, ग्राम–कटौला, शंभूआड थाना–मधुबनी, जिला–**मधुबनी** एवं श्री राम लखन दास उर्फ दिगम्बर तिवारी, साकिन राम जानकी मंदिर, कटौला, थाना–मधुबनी, जिला–**मधुबनी** एवं अन्य द्वारा आयोग में परिवाद दायर कर सूचित किया गया है कि श्री अरूण राय, उर्फ अरूण हवा, वर्तमान मेयर, नगर निगम, मधुबनी नगरपालिका आम निर्वाचन/उप निर्वाचन–2023 में अपने नामांकन के शपथ–पत्र में न्यायालय/आपराधिक मामले संबंधी तथ्यों को छुपाकर विजयी प्राप्त की गयी है।

आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान के आधार पर वाद प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया तथा नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत वादी एवं प्रतिवादी को नोटिस निर्गत किया गया एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी को जाँच–सह–सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

प्रथम सुनवाई की तिथि में वादी अनुपस्थित रहे। अगली सुनवाई की तिथि में वादी द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी के विरूद्ध 04 आपराधिक मामले में नामजद अभियुक्त दर्ज है, जिसका जिक्र प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में नहीं किया गया है। आयोग द्वारा वादी को लगाये गये आरोपों को शपथ–पत्र के माध्यम से वाद पर लाने के लिए कहा गया है एवं आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा संज्ञन लिया गया है कि नहीं का Certified Copy उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। परिवादी अपने अभ्यावेदन में अंकित किये है कि प्रतिवादी के विरूद्ध मधुबनी नगर थाना काण्ड संख्या–438/2019, मधुबनी नगर थाना काण्ड संख्या–418/2018 एवं पंडौल थाना काण्ड संख्या–68/2018 एवं अन्य कई काण्ड इनके विरूद्ध दर्ज है, जिसका जिक्र

नगरपालिका आम निर्वाचन/उप निर्वाचन–2023 में अपने नामांकन के शपथ–पत्र में नहीं किया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के द्वारा लगाये गये आरोपो को खण्डन करते हुए, बताया गया कि नामांकन के समय पर कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं था। सभी मामलों में आरोप–पत्र दायर किया गया है, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

आगे प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शपथ–पत्र के माध्यम से जवाब उपलब्ध कराया गया। उनके द्वारा बताया गया है कि नामांकन तिथि तक कोई भी काण्ड पुलिस अनुसंधान में लम्बित नहीं था, न ही कोई मुकदमा मेरे विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण (Trial) में था। मेरे विरूद्ध लगाये गये, आरोप बे–बुनियाद और आधारहीन है। आगे उनके शपथ–पत्र के अभ्यावेदन में संलग्न लोक अभियोजक, मधुबनी के पत्रांक–761, दिनांक–27.08.2025 जो उप निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी को प्रेषित में उल्लेख है कि अरूण राय के विरूद्ध मधुबनी नगर थाना काण्ड संख्या–438/2019 एवं मधुबनी नगर थाना काण्ड संख्या–418/2019, पण्डौल थाना काण्ड संख्या–68/2018 में अनुसंधानोपरांत आरोप असत्य पाये जाने तदनुसार न्यायालय में आरोप–पत्र समर्पित हुआ है, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है एवं राजनगर थाना काण्ड संख्या–108/2022 में अरूण राय अभियुक्त नहीं है। चूँकि श्री अरूण राय के विरूद्ध नामांकन के तिथि तक कोई भी आपराधिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं था, इसलिए निर्वाची पदाधिकारी ने श्री अरूण राय के नामांकन स्वीकृत किया। उपर्युक्त तथ्यों के विवेचना से स्पष्ट है कि अरूण राय के विरूद्ध दिनांक–13.05.2023 को अर्थात् मेयर पद के नामांकन के तिथि के पूर्व दर्ज मामलों में अनुसंधान पदाधिकारी के अनुसंधान एवं वरीय पदाधिकारी के पर्यवेक्षण के क्रम में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप से निर्दोष पाया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–2762, दिनांक–26.12.2025 में प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

"**1.** नगर थाना काण्ड संख्या–418/2018, दिनांक–18.11.2018– उक्त काण्ड धारा–364/302/201 भा0द0वि0 दर्ज की गयी है, जिसमें श्री अरूण हवा उर्फ अरूण राय नामजद अभियुक्त थे, परन्तु इस काण्ड में अग्रेत्तर अनुसंधान एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस काण्ड में बनाये गये अभियुक्त श्री अरूण हवा उर्फ अरूण राय की संलिप्तता नहीं पायी गयी है।

2. मधुबनी नगर थाना काण्ड संख्या–438/2019, दिनांक–17.11.2019 उक्त काण्ड धारा–147/148/149/341/323/504/506/354B/386/379/447 भा0द0वि0 एवं 25 A/27 Arms Act के तहत दर्ज की गयी है, जिसमें अरूण हवा उर्फ अरूण राय प्राथमिक नामजद अभियुक्त थे। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में यह काण्ड भूमि विवाद कोटि का पाया गया तथा इस काण्ड में अंतिम प्रतिवेदन संख्या–78/20(भूमि विवाद, दिनांक–31.03.2020) को समर्पित किया गया।

3. पंडौल थाना काण्ड संख्या–68/2018, दिनांक–30.04.2018– उक्त काण्ड धारा–341/323/448/307/504/290/34 भा0द0वि0 एवं 25 (1-B) A/26/35/27 Arms Act एवं 37 C बिहार उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत दर्ज है, जिसमें अरूण राय एवं अन्य प्राथमिकी नामजद अभियुक्त के विरूद्ध **"साक्ष्य की कमी"** पाते हुए, प्राथमिकी अभियुक्त दिलीप कुमार सिंह के विरूद्ध सत्य पाते हुए, गिरफतार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जिसके विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–226/19, दिनांक–11.11.2019 समर्पित है।

4. राजनगर थाना काण्ड संख्या–108/2022, दिनांक–01.05.2022– उक्त काण्ड धारा–302/120B भा0द0वि0 जिसमें अद्यतन अरूण हवा उर्फ अरूण राय प्राथमिकी अथवा अप्राथमिकी अभियुक्त नहीं है। उक्त वाद के मुख्य अभियुक्त रोहित यादव द्वारा पुलिस पदाधिकारी के समक्ष दिनांक–17.04.2023 को दिये गये, स्वीकारोक्ति बयान में अरूण हवा के संबंध में दिये गये बयान पर अनुसंधान जारी है।

आगे उक्त प्रतिवेदन के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–97/जि0निर्वा0 दिनांक–22.01.2026 मधुबनी नगर थाना काण्ड संख्या–418/2018 एवं काण्ड संख्या–438/2019, पण्डौल थाना काण्ड संख्या–68/2018 तथा राजनगर थाना काण्ड संख्या–108/2022 में लगाये गये, आरोपों जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है एवं आरोप–पत्र स्वीकार किया गया है, के अद्यतन स्थिति के संबंध में सही सूचना हेतु उनसे संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रति आयोग को उपलब्ध कराया गया है।

आयोग द्वारा वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये, साक्ष्यों एवं तर्कों तथा प्रतिवादी के जवाब एवं तर्कों की समीक्षा एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी **द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन एवं प्रतिवादी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामले में उपलब्ध कराये गये, न्यायालय संबंधित सत्यापित प्रति का अवलोकन आयोग द्वारा किया गया तो यह पाया गया कि वादी द्वारा उल्लेखित वादों में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुधबनी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध संज्ञान नही लिया गया है।**

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–445(1)(ii) के तहत अभ्यर्थियों को नामांकन–पत्र में ऐसे मामलों को अंकित करना अनिवार्य है, जिसमें लंबित प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो, अथवा उनके विरूद्ध आरोप तैयार कर दिया गया हो।
अतएव वादी के आरोपों को अस्वीकृत करते हुये, वाद को खारिज किया जाता है।
इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
08.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
08.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–36/2025 1465 पटना, दिनांक 8.4.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **मधुबनी**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मधुबनी** को सूचनार्थ प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मधुबनी** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

08/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी